GCMS - 2024/391

APP-A

Crim-I

Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम

सरकार बनाम पप्पू

किस्म मुकदमा 136 नं. 34 सन् 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
11/11/24	राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा की ओर से बाद जॉच रिपोर्ट पेश हुआ। जॉच रिपोर्ट सरिस्ता अवलोकन की गई। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर हो। तहसीलदार लाडपुरा की ओर से प्रार्थना पत्र पर बहस कर प्रार्थना पत्र स्वीकार जाने का निवेदन किया गया। बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। पत्रावली आदेश वास्ते दिनांक 18/11/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी को	
18/11/24	पत्रावली पेश हुई। सरकार पैरोकार उपस्थित। प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 एल आर एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वाकै ग्राम गोरधनपुरा वर्तमान खाता संख्या 105 सेटलमेन्ट जमाबन्दी खाता सं0 59 में हीरा, जयकिशन, कान्हा पि० भवाना कौम माली हिस्सा 2/3 बराबर सा० गिरधरपुरा, रामकरण, पप्पू पि0 अम्बा हिस्सा 1/4 हि० बराबर जाति माली सा० गिरधरपुरा दर्ज रिकॉर्ड था जबकि हीरा हिस्सा 1/4, जयकिशन हिस्सा 1/4, कान्हा हिस्सा 1/4 पि0 भवाना एव पप्पु, रामकरण पि0 अम्बा हिरसा 1/4 बराबर दर्ज होना था। वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 जमाबन्दी 2077 (वर्ष 2020) स्थायी दिनाक 23.08 2024 में खातेदार हीरा के वारिसान रामप्रसाद 2/45, आनन्दीलाल 2/45, प्रभुलाल 1/45, कन्हैयालाल 1/45 पुत्रान् राधाकिशन खातेदार कान्हा के वारिसान मोडू 1/10, भूली 1/10, बसन्ती 1/10, लटूर 1/10 खातेदार अम्बालाल के वारिसान पप्पू 1/8, रामकरण 1/8 खातेदार जयकिशन के वारिसान मांगीलाल 1/45, गुलाब 1/45, चाउ 1/45, मूर्ति 1/45, सुगना 1/45 पुत्र पुत्रियां कस्तूरी पत्नि 1/45 दर्ज रिकॉर्ड था। उक्त खाते का हिस्सा बिन्दु सं० 3 के स्थान पर हीरा के वारिसान रामप्रसाद 1/12, आनन्दीलाल 1/12, एवं प्रभुलाल 1/24, कन्हैयालाल 1/24 पुत्रान् राधाकिशन खातेदार कान्हा के वारिसान मोडू 1/16, भूली 1/16, बसन्ती 1/16, लटूर 1/16 खातेदार अम्बा के वारिसान का हिस्सा सही दर्ज है एवं खातेदार जयकिशन के वारिसान कस्तूरी 1/24, गुलाब 1/24, चाउ 1/24, मूर्ति 1/24 मांगी 1/24, सुगना 1/24 हि0 दर्ज होना है। नामा० से 580 निर्णय 13.09.224 से मृतक कस्तूरी का विरासत का नामा0 खोला गया, कस्तूरी के वारिसान पूर्व में जमाबन्दी में मौजूद थे, जिनका हिस्सा	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
	गुलाब 1/45, चाउ 1/45, मूर्ति 1/45, सुगना 1/45, मांगीलाल 1/45 दर्ज रिकॉर्ड था। उक्त नामा0 सं० 580 स्वीकृत होने के पश्चात् जमाबन्दी वर्तमान में केवल कस्तूरी के वारिसान प्रदर्शित हो रहे है, जबकि नामा० सं0 580 के पी–21 अनुसार शेष काश्तकार बदस्तूर दर्ज है, उक्त सम्बन्ध DILRMP एवं ई– धरती सॉफ्टवेयर की तकनीकी त्रुटि के कारण दर्ज हुआ है। शेष काश्तकार हीरा के वारिसान रामप्रसाद, आनन्दीलाल, प्रभुलाल, कन्हैयालाल पुत्रान राधाकिशन खातेदार कान्हा के वारिसान मोड़ू, भूली, बसन्ती, लटूर खातेदार अम्बालाल के वारिसान रामकरण, पप्पू भी यथावत् रहना उचित है। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि ऑनलाईन म्यूटेशन प्रक्रिया द्वारा गलत इन्द्राज हुए है। अतः उक्त प्रविष्टियों को दुरुस्त करने के आदेश करने की क्षेत्राधिकारिता श्रीमान न्यायालय को है। अतः प्रार्थी को खाता संख्या 105 में उक्त प्रविष्टियों को दुरूस्त करने के निर्देश प्रदान करें। पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेज जमाबंदी ग्राम गोरधनपुरा संवत 2073–2076, नामांतरकरण प्रपत्र (प–21) का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में किये गये कथन प्रथम दृष्ट्या ही उचित प्रतीत होते है। अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 136 एल आर एक्ट स्वीकार योग्य होने से स्वीकार कर नामा0 सं0 580 स्वीकृत होने के पश्चात DILRMP एवं ई– धरती सॉफ्टवेयर की तकनीकी त्रुटि के कारण ग्राम गोरधनपुरा के खाता संख्या 105 में हुई त्रुटि को दुरूस्त करने के आदेश प्रदान किये जाते है। उक्त निर्णय आज दिनांक 18/11/24 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। 18/11/24 उपखण्ड अधिकारी कोटा	